

पत्र संख्या :: रब/4711 यो०ज०सं०-०१/१२ | ७४

झारखण्ड सरकार

ज्ञारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

एस० के० शतपथी प्राचीन विश्वास है कि उस प्रधान सचिव।

सेवा में, जिसमें इस्तेमाल की जाने वाली संस्कृति अवश्यक है।

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर
संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी।

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड |

रोंची, दिनांक :— १ - २ - १३

विषय :— मॉग संख्या-49—जल संसाधन विभाग, योजना मुख्य शीर्ष-4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-01—बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष-796—जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-57—बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-08—लेखा समायोजन 70 राज्यांश, विपत्र कोड—49P471101796570870, के अंतर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष-2012-13 में निधि का आवंटन।

महाभाग्य.

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट मुख्य शीर्ष 4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है:-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	49—जल संसाधन विभाग 4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूजीगत परिव्यय / 01—बाढ़ नियंत्रण,	796—जन—जातीय क्षेत्रीय उप योजना/ 57—बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन	08—लेखा समायोजन, 70 राज्यांश / 49P471101796570870	309.94

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ तीन करोड़ नौ लाख चौरानवे हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012–13 के बजट उपबंध रु. 400.00 लाख (चार करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
 - आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
 - आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति (परिशिष्ट –1 के स्तम्भ 6 में वर्णित) एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
 - संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
 - राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
 - राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

8. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
9. इस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भरत करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 28 फरवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनुलग्नक—यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :— 174

रॉची, दिनांक :— 1-2-13

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ज्ञारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी डोरन्डा/रॉची/साहेबगंज/राजमहल सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त

10.202

प्रियोगमाला १८०-८०
डांगराइ ०१
०८०८०८०८०१०१०८०८०१

प्रियोगमाला-१८०-०११
डांगराइ-०११

काशिनी डांक/प्रियोगमाला
प्रियोगमाला रॉची

प्रियोगमाला १८०-८०१

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक :—

174

रॉची, दिनांक :— 1-2-13

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, /सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :— यथोक्त

114

6

6

6

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

काशिनी (सुरेश प्रसाद भगत) (जयप्रकाश भट्टाचार्य) (सुबोध कुमार सिन्हा) (बी. सी. निगम) (एस० के० शतपथी)

उप सचिव (अभि.) संयुक्त सचिव (अभि.) विशेष सचिव प्रधान सचिव

(भागी रॉची
प्रियोगमाला
रॉची)

(भागी रॉची
प्रियोगमाला
रॉची)

(भागी रॉची
प्रियोगमाला
रॉची)

(भागी रॉची
प्रियोगमाला
रॉची)

दिनांक १०.२.१३

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 1

विभागीय पत्रांक १८५
 मांग संख्या-४९-जल ससाधन विभाग
 मुख्य शीर्ष-४७११-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पौंजीगत परिव्यय
 उप मुख्य शीर्ष-०१-बाढ़ नियंत्रण
 लघु शीर्ष-७७६-जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना,
 उप शीर्ष-५७-बाढ़ नियंत्रण / कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन
 विस्तृत शीर्ष-०८-लेखा समायोजन ७० राज्यांश,
 विपत्र कोड- 49P47101796570870

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपवाष्ठ रु. 400.00 लाख (चार करोड) मात्र।

राशि लाख ₹ में

क्र. प्रमांडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	मार्च 2012		वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन				
					1	2	3	4	5	6	7
1 गंगा पम्प नहर प्रमांडल-साहेबगंज	देवधर	साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दोये तट पर बुखबरिया से कन्हैया खान तक कटाव निरोधक कार्य (JHK-3) साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दोये तट पर नारायणपुर ग्राम के पास कटाव निरोधक कार्य (JHK-2)	991.130 06-12 / 10-11 प्र.स्वी. दि. 04.08.2010	1/पी.एम.सी./विविध / 239/ 592.35 10/ 10-11 प्र.स्वी. ० दिनांक-23.07.2010	90.06 90.06 469.36	234.94 325.00 0.00	90.06 75.00 75.00	90.06 75.00 75.00	90.06 309.94 400.00	90.06 309.94 400.00	90.06 309.94 400.00
		योग	1061.71								

आतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ तीन करोड नी लाख चौरानबे हजार मात्र।

५१८५
 (सुरेश प्रसाद भगत)
 सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
 उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
 संयुक्त सचिव (अभि.)

(वी. सी. निगम)
 विशेष सचिव

१८
 (एस० के० शतपथी)
 प्रधान सचिव